वित्तीय स्वीकृति

संख्याः–2352/XVII-3/2017-09 (06)/2016

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 21 नवम्बर, 2017 ~~अक्टूबर, 2017~~

विषयः–केन्द्र सहायतित बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद देहरादून के राजकीय पॉलीटैक्निक, विकासनगर में 50 बैडेड छात्र छात्रावास के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि की वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–1192/नि.स.क./एम.एस.डी.पी./2016–17, दिनांक 14.12.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय पॉलीटैक्निक, विकासनगर, देहरादून में 50 बैडेड छात्र छात्रावास के भवन निर्माण उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि. द्वारा गठित आंगणन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या–3/20(2)/2013–पी0पी0–1, दिनांक 08.11.2016 के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 पर प्रश्नगत निर्माण हेतु कुल ₹ 179.54 लाख अनुमोदित करते हुए केन्द्रांश ₹ 143.632 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में ₹ 71.816 लाख की धनराशि अवमुक्त की है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा राजकीय पॉलीटैक्निक, विकासखण्ड विकासनगर (देहरादून) में 50 बैडेड छात्र छात्रावास के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत ₹ 179.54 लाख (केन्द्रांश ₹ 143.632 लाख + राज्यांश ₹ 35.908 लाख) के क्रम में गठित आगणन के टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 179.53 लाख (₹ 4.48 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु + ₹ 175.05 लाख सिविल कार्यो हेतु) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा 80प्रतिशत केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि ₹ 71.816 लाख तथा 20 प्रतिशत राज्यांश की प्रथम किश्त ₹ 17.944 लाख अर्थात ₹ 89.76 लाख (सिविल कार्यो हेतु ₹ 87.525 लाख + अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो हेतु ₹ 2.235 लाख) (₹ नवासी लाख छिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उपरोक्त कार्य को उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से ही वांछित गुणवत्ता एवं समयबद्धता पूर्वक सम्पूर्ण कराया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा।
2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 में दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. उपरोक्त कार्य को उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से ही वांछित गुणवत्ता एवं समयबद्धता पूर्वक सम्पूर्ण कराया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा तथा भारत सरकार की स्वीकृति पत्र दिनांक 08.11.2016 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त कार्य को सम्पादित कराते समय एम.एस.डी.पी. योजना की गाईडलाइन का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाये। उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराकर विभाग को हस्तान्तरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम द्वारा एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय के अंतर्गत भवन कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाये।
7. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्जेज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
9. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। आंगणन में प्राविधानित व्यय करने से पूर्व उक्त हेतु उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित उपबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अव्ययित अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत अधिक धनराशि की आवश्यकता पडती है तो निगम के सुसंगत लेखाशीर्षकों/मदों से इसकी पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।
10. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से की गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
11. एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
12. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
13. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
14. यदि स्वीकृति राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।
15. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी0पी0 डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
16. स्वीकृत उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व प्रश्नगत योजना हेतु भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करनी आवश्यक होगी। किसी भी दशा में भूमि उपलब्ध होने से पूर्व उक्त स्वीकृत धनराशि जारी न की जाय।
17. यदि कार्यदायी संस्था द्वारा उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते में जमा कर ब्याज अर्जित किया जायेगा, तो अर्जित ब्याॅज की धनराशि को कोषागार में जमा कराये जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय हेतु वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 89.76 लाख में से केन्द्रांश ₹ 71.816 लाख का वहन गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में शासनादेश संख्या–545/XVII-3/2017–07(02) /2016टी.सी.–II, दिनांक 30.03.2017 के द्वारा जिलाधिकारी, देहरादनू के पी.एल.ए. खाते में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष आहरित कर किया जायेगा जबकि राज्यांश ₹ 17.944 लाख का व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के मुख्य लेखाशीर्षक 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–800–अन्य व्यय–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103 –अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना के मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्याः183/XXVII-I/2012, दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्या–S1711150134 दिनांक 22 अक्टूबर, 2017 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 91(म0)/XXVII-3/2017, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– 2352/ XVII-3/2017, **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महप्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।